तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4937/2003/चूरू** **सिरेकंवर बनाम हीरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक, प्रार्थी।
(2) असल अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

निर्णय **दिनांकः 27.01.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ के आदेश दिनांक 08–09–2003 प्रकरण सं0 157/1997 बउनवानी हीरसिंह बनाम सिरेकंवर के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी/वादी ने एक वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ के समक्ष बाबत् उद्घोषणा रेकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद दिनांक 17–09–1997 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादिनी सं0 3 उमाकंवर को पक्षकार बनाया गया जबकि प्रतिवादिनी सं0 3 का स्वर्गवास दावा दायरी से पूर्व हो चुका था। इसलिए अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 16 एवं 17 का पेश किया जो दिनांक 13–05–1999 को स्वीकार किया गया और संशोधित वादपत्र पेश किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। दौराने वाद अप्रार्थी/वादी हीरसिंह उर्फ हरिसिंह का स्वर्गवास होने से उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसमें वादीगण की ओर से संशोधित दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी सं0 3 श्रीमती उमाकंवर को जीवित बताते हुए पुनः संशोधित वादपत्र पेश कर दिया गया। प्रतिवादीगण सं0 12 ल0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4937/2003/चूरू</u>** **सिरेकंवर बनाम हीरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14 दुर्गानाथ, तुलछाराम, नथूराम का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई हक व हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी बिना कोज ऑफ एक्शन का हवाला देते हुए पक्षकार बनाया गया। उक्त समस्त वादपत्र मृतक के विरूद्ध होने एवं पक्षकारों के कुसंयोजन होने एवं बालिग लड़कियों को नाबालिग दर्शाते हुए मूल वाद पत्र व संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसको प्रथम दृष्ट्या त्रुटिहीन होने की वजह से प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8-9-2003 से खारिज कर दिया गया जिस निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। 3- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी द्वारा जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया वह प्रथम दृष्ट्या श्रवण किये जाने योग्य नहीं था क्योंकि उक्त दावा दायरी के समय से पूर्व ही प्रतिवादिनी सं0 3 का स्वर्गवास हो चुका था जिसके बाबत् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश भी कर दिये थे उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करते हुए भी प्रतिवादिनी सं0 3 का नाम फिर से उल्लेख कर दिया गया। इस प्रकार मृतक के विरूद्ध वादपत्र किसी भी आधार पर चलने योग्य नहीं था, उसके बावजूद भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अपने नोन स्पीकिंग आदेश के द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अप्रार्थी सं0 7 से 9 अनावश्यक पक्षकार वाद बंटवारे संबंधित हैं जिसमें सभी सह काश्तकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण बनाये जाने चाहिए किन्तु अप्रार्थी सं0 7 से 9 न तो सह काश्तकार है एवं न ही उक्त आराजी पर उनका कोई हक हकूक है, उसके खिलाफ कोई कोज ऑफ एक्शन के अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4937/2003/चूरू** **सिरेकंवर बनाम हीरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया वाद कुसंयोजन के आधार पर और कॉज ऑफ एक्शन के आधार नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य था। संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया उसमें प्रतिवादिनी सं0 6 व 7 को नाबालिग बताया है जबकि 2003 में उक्त प्रतिवादिनी बालिग हो चुकी है, इसलिए जो संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वह प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिहीन था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त वादपत्र को निरस्त कराये जाने हेतु एक अन्य आधार यह लिया कि वादी हीरसिंह उर्फ हरिसिंह द्वारा दिनांक 27-6-2000 को किया गया अवैद्य बेचान का हवाला संशोधित वाद दिनांक 23-9-2002 में अंकित नहीं किया गया है। वादी हरिसिंह द्वारा किया गया अजनबी व्यक्ति श्रीमती इन्द्रकंवर धर्मपत्नि भंवरसिंह उर्फ रामावतारसिंह को किये गये विक्रयपत्र को वादपत्र में उल्लेख नहीं किया गया है जबकि वादीगण व स्व0 हरिसिंह को पूर्ण ज्ञान था। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होते हुए भी वादी ने अन्य संयुक्त खातेदारान की सहमति के बगैर निश्चित खसराजात का अवैद्य बेचान किया है जबकि वादी सिफ अपने हिस्से की भूमि बेच सकता था। वादी ने दावे के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर न्यायालय से छिपाकर संशोधित दावा पेश किया है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 8-9-2003 को निरस्त किया जावें।

5- हमने प्रस्तुत निगरानी में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 08-09-2003 में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4937/2003/चूरू</u>** **सिरेकंवर बनाम हीरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय के समय साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना है। जहां तक संशोधित वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 3 को मृत होते हुए भी नाम जोड़ने का प्रश्न है, अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने इसे भूल से होना स्वीकार किया है। अतः प्रति0 सं0 3 का नाम संशोधित वाद से हटाया जावें। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ का उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है। आदेश में उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र खारिज करने के उपर्युक्त आधार अंकित नहीं किये हैं जबकि उपखण्ड अधिकारी को स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिए था।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–2003 खारिज किया जाता है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सुजानगए को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर बोलता हुआ आदेश (Speaking Order) पारित करें। उभयपक्ष उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ के न्यायालय में दिनांक 15–02–2021 को उपस्थित हो।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य